

संख्या - 11 नि0गो0वि0 (01) 19/2023 .....

दिनांक— ...../2025

## <u>आदेश</u>

श्री राम गोविन्द राम, उर्फ दाना राम, सेवा निवृत साढ़ सेवक (चपरासी), आदर्श ग्राम बिहिया, भोजपुर आरा के विरूद्ध दिनांक 07.10.1992 को हत्या के आरोप में जेल के बंदी बनाया गया के आलोक में तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–148, दिनांक 18.01.1993 के द्वारा दिनांक 28.10.1992 से निलंबित किया गया। श्री राम दिनांक 28.10.1992 से सितम्बर 1995 तक कारावास में रहे।

2. जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 1761, दिनांक 13.08.2024 में उल्लेख किया गया कि श्री राम को उनके सेवानिवृति की तिथि 28.02.2003 तक जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान दिया गया है अर्थात श्री राम निलंबन अवस्था में ही दिनांक 28.02.2003 को वार्ध्यक्य सेवानिवृत हो गये।

3. श्री राम गोविन्द राम, उर्फ दाना राम को अतिरिक्त जिला एवं साथ न्यायाधीश, आरा द्वारा अपराधिक मामले में श्री राम के विरूद्ध ट्राइल संख्या 72/1993 में दिनांक 31.05.1994 को पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है

20- " In the facts and circumstances of the case I think that ends of justice shall meet if convict Dana Ram and Sunderdeo Ram are sentenced to under go R.I. for life u/s 302 of the I.P.C. They are also sentenced to under go R.I. for three years u/s 148 of the I.P.C

4. उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध श्री राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील (Apeal) Criminal Appeal (DB) No. 302 of 1994 With Criminal Appeal (DB) No–340/1994 दायर किया गया। जिसमें दिनांक– 17.07.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"13. After hearing the parties and going through the evidences on record, it appears that appellants have not arrived at the place to assault anyone, but their motive was only to remove the Khunta which was being fixed by Ragho Ram on the northern side of Sati Asthan and they asked him to remove the khuta and not to encroach over the land of Sati Asthan but Ragho Ram did not agree and thereafter accused started uprooting the khunta which was objected by Ragho Ram which infuriated the accused appellants and they started assaultingRagho Ram, upon which other family members including the brother of Prem Nath Ram came to save him and appellant No. 1 Dana Ram inflicted bhala blow on his stomach and appellant No. 2 Sunderdeo Ram inflicted bhala blow on his neck which proved to be fatal and he died while he was being carried to the hospital. It has come in evidence that except these two accused appellants none had assaulted Prem Nath Ram and there was no repetition of blow. However, the trial court has convicted both these appellants under Sections 302 and 149 of the Indian Penal Code and this Court finds that appellants have been rightly convicted by the trial court but since the incident was not planned and pre-mediated and was result of sudden provocation and was committed in a fit of anger and there was no intention to kill Prem Nath Ram as there was no repetition of bhala blow as such, the conviction of appellants under Section 302 is modified as 304 part II and sentence of rigorous imprisonment of life is altered to period already undergone. In Criminal Appeal No. 302 of 1994 preferred by five appellants in which they have been convicted under Sections 323 and 147 of IPC and is maintained, however order of sentence to undergo rigorous imprisonment of one year and fine of Rs. 500/- and in default to undergo rigorous imprisonment for six months is modified to the period already undergone.

हमारा बिहार	बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग <b>पशुपालन निदेशालय</b> विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15	(
Reality india	विकास भवन, नया सांचवालय, पटना-10	1 ic

14. As a result, Criminal Appeal No. 302 of 1994 and Criminal Appeal No 340 of 1994 is partly allowed to the extent as indicated above. Appellants are on bail in Criminal Appeal No of 302 of 1994 and Criminal Appeal No. 340 of 1994 and they are discharged from the liabilities of their bail bonds."

5. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राम गोविन्द राम उर्फ दाना राम से पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 37 (नि0), दिनांक 05.01.2025 द्वारा Court of 2nd Addl. District and session Judge, Arah तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा राम को दी गयी सजा पर पर श्री राम से बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43 (ख) के तहत कारण पृच्छा की गयी।

6. उक्त के आलोक में श्री राम कारण पृच्छा दिनांक 11.01.2025 को समर्पित किया। उक्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। श्री राम के द्वारा अपने आप को अपराधिक कृत्त के दोषीसिद्ध में कोई यथेष्ट कारण/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

7. विषयांकित मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि उल्लेखित बिन्दु पर विधि विभाग में माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त कर ली जाय। उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत है :--

".....Thus in view of the facts stated above, I am of the considered opinion that in view of the conviction of Sri Ram Govind Ram alias Dana Ram for a serious offence of murder, order of termination of service against him can be issued under Clause (a) of second proviso of Article 311(2) of the Constitution of India from the date of his conviction and since the conviction has not been set aside by the Appellate Court, the same being upheld, therefore, he is not entitled to any benefits as requested by him.

With the said opinion, I am reverting the file to the office of the learned Advocate General."

8. वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं विद्वान महाधिवक्ता के उक्त परामर्श के आलोक में श्री राम गोविन्द राम, उर्फ दाना राम, पिता– श्री अकलु राम, ग्राम– मेड़िया, पो०– धमार, जिला–मोजपुर, आरा, राज्य–बिहार, पदनाम–साढ़ सेवक–सह–तत्कालीन निलंबित सेवा निवृत चपरासी, कार्यालय सहायक निदेशक (प०वि०), वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे०स्तर), पीरो, मोजपुर, आरा, (जन्म तिथि 07.02. 1945 सेवा में नियुक्ति की तिथि 07.02.1965 तथा सेवा निवृत तिथि 28.02.2003 सेवापुस्त के अनुसार) की अपराधिक कृत्त के दोषीसिद्ध के तिथि से सरकारी सेवा समाप्त किया जाता है तदनुसार श्री राम गोविन्द राम गोविन्द राम, उर्फ दाना राम द्वारा अनुरोधित किसी भी लाभ के हकदार नहीं होगें। श्री राम गोविन्द राम के बकाया वेतन राशि एवं अन्य भत्ते सहित पेंशन चालु करवाते हुए अन्य बकाया सेवान्त लाभ/उपदान का मुगतान ब्याज सहित करवाने से संबंधित सभी दावे को खारिज किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

ह0/-

निदेशक, पशुपालन।



बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग **पशुपालन निदेशालय** विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



प्रतिलिपि – सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (प०वि०), वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे०स्तर), पीरो, भोजपुर, आरा/पशुपालन निदेशालय के अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रधान/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–7, पशुपालन निदेशालय, बिहार/सभी संबंधित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्री राम गोविन्द राम, उर्फ दाना राम, पिता– श्री अकलु राम, ग्राम– भेड़िया, पो०– धमार, जिला–भोजपुर, आरा, पिन–802156, पदनाम–निलंबित साढ़ सेवक, तत्कालीन निलंबित सेवा निवृत चपरासी, कार्यालय सहायक निदेशक (प०वि०), वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे०स्तर), पीरो, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सॉफ्ट प्रति के साथ आगामी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई—मेल करने) हेतु प्रेषित।

